


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज <b>किशनसिंह बनाम जगदीश सिंह</b> <b>अपील संख्या 18/2020 (जीसीएमएस नम्बर 2020/00327)</b>	-नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
02.05.24	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित, उन्होने अवसर चाहा। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे विदित होता है कि हस्तगत अपील वर्ष '2020 से तलबी में ही विचाराधीन चल रही है तथा अधिवक्ता अपीलान्ट को बार-बार अवसर देने के उपरान्त भी उनके द्वारा न्यायालय हाजा के आदेशों की पालना में रैस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में न्यायालय हाजा के आदेशों की पालना नहीं किये जाने पर अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील न्यायालय हाजा के आदेशों की पालना में रैस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं करने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील पत्रावली जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"> (डॉ० प्रवीण कुमार) अति-संभागीय आयुक्त, जयपुर।</p>	